F.No. 15-77/1/NMA/HBL-2021 Government of India Ministry of Culture National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality-Baragarh, District-Khurda Odisha" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

- i. National Monuments Authority www.nma.gov.in
- ii. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
- iii. Archaeological Survey of India, Bhubaneswar Circle, www.asibbscircle.in
- 2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID hbl-section@nma.gov.in latest by 9th September, 2021. The person making objections or suggestion should also give his name and address.
- 3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 9th September, 2021, consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N.T.Paite) Director, NMA 11th August, 2021



भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY



नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द ओडिशा के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality-Baragarh, District- Khurda Odisha

भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के नियम (22) के साथ पठित, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उपनियम बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्यकार्य) नियम 2011 की धारा 20 ड द्वारा प्रदतशिक्तयों का प्रयोग करते हुए "नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द ओडिशा" को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारक के लिए निम्निलिखित मसौदा धरोहर उपनियम, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासतन्यास के साथ परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाशर्ते और कार्यनिष्पादन), नियम 2011 केनियम 18, उपनियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपित्तयां और स्झाव आमंत्रित करने के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं।

आपित्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली को अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई - मेल किए जा सकते हैं।

कथित मसौदा उप-नियमों के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट समयाविध की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा धरोहर उप-नियम अध्याय । प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

- (i) इन उप-नियमों को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द ओडिशा को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप नियम, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।
- (iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं: -

- (1) इन उपनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह, या कोई गुफा, शैल-मूर्तियां-शिलालेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचिका है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं
 - (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
 - (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
 - (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेर नेयाकवरकरने या अन्यथा परिरक्ष करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन:
 - (ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस में ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिन के होने कायुक्ति संगत रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं
 - (i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन
 - (ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

- (घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से कम रैंक का नहीं है;
- (ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20 च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेतहै,
- (च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त से कम रैंक का न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कार्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से धारा 20 ग, 20 घ और 20 ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न - भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

- (छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वा कार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुनःनिर्माण, मरम्मत और पुन रुद्धार या नालियों और जल निकास संकर्मोत था सार्वजनिक शौचालयों मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति का प्रावधान करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिए इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं।
- (ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्र फल से भाग करके प्राप्त होने वाले भाग फल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

- (झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;
- (ञ) अपने व्याकरणि करूपों और सजातीय पदों सिहत "अनुरक्षण" जिसमें किसी संरिक्षित संस्मारक को बाइ से घेरना, उसेक वर करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुन रुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरिक्षित संस्मारक के पिरिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, शामिल है;
- (ट) "स्वामी" के अंतर्गत निम्नव्यक्ति शामिल हैं
 - (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी की संपत्ति के हकका उत्तराधिकारी, तथा
 - (ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;
- (ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति को धीमा करना है;
- (ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20 क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेतहै;
- (ढ) "संरक्षित क्षेत्र " से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

- (त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20 ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (थ) "पुनःनिर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परि निर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और जध्वीकार सीमाएं समान है;
- (द) "मरम्मत और पुन रुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुनःनिर्माण नहीं होंगे।
- (2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय ॥

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि: धरोहर उप नियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबिक ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमित से हुआ था,

- विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।
- 2.1 धरोहर उप नियमों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, धारा 20 ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलऔर अवशेष (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।
- 2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:
 - (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और नवीकरण को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
 - (ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।


(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्ते और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक- नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द ओडिशा के स्थल की अवस्थिति एवं विन्यास

3.0 संस्मारक स्थल की अवस्थिति एवं विन्यास:

यह संस्मारक जीपीएस निर्देशांक 22°14.45.14" उत्तरी अक्षांश; 85° 50′20.78" पूर्वी देशांतर पर स्थित है।



चित्रः संरक्षित,प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों सहित नवकेश्वर मंदिर और इसके छोटे मंदिर सहित भुवनेश्वर शहर; स्थान-बारागढ़, जिला - खुर्द ओडिशा, सर्वेक्षण भूखंड संख्या - 2134 के स्थान को दर्शाने वाला मानचित्र

- यह मंदिर बारागढ़ में नागेश्वर टांगी क्षेत्र में है।
- यह पुरी-कटक राष्ट्रीय राजमार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है , राष्ट्रीय राजमार्ग भुवनेश्वर शहर के दक्षिण पूर्व दिशा से 7.1 कि.मी. की दूरी पर है।
- निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर है जो मंदिर की उत्तरी दिशा से 2.7 किमी (पुरी सड़क के रास्ते) की दूरी पर है।
- निकटतम हवाई अड्डा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मंदिर के
 उत्तर-पश्चिमी दिशा से 3.2 किमी (विवेकानंद मार्ग के रास्ते) की दूरी पर है।

3.1 संस्मारक की संरक्षित चार दीवारी:

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारक नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला-खुर्द, ओडिशा की संरक्षित चारदीवारी को अनुबंध- I में देखा जा सकता हैं।

3.1.1 एएसआई के रेकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द, ओडिशा की अधिसूचना अनुबंध- II में देखे जा सकते हैं।

3.2 संस्मारक/स्थल का इतिहास:

मंदिर की बाहरी दीवार पर की गई मूर्तिकला अलंकरण यह बताते हैं कि यह मंदिर मूलरूप से भगवान शिव को समर्पित था। भुवनेश्वर के इस प्राचीन मंदिर को कलिंग वंश के दौरान बनाया गया था।यह मंदिर लगभग तेरहवीं शताब्दी ईसवी का है।

3.3 संस्मारक का विवरण (वास्तुकला संबंधी विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि):

यह मंदिर किलंग शैली की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर आम तौर पर ओडिशारेखा-देउल प्ररूपी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहा का प्रतिष्ठापित लिंग अब भी बरकरार है। बाहरी दीवार पर कार्तिक, गणेश और पार्वती जैसे पार्श्व देवता ताक पर सुसज्जित हैं। इस मंदिर में ओडिशा के मंदिरों के भवन निर्माण कार्यकलापों में अधोगित के चरणों को दर्शाया गया है।

3.4 वर्तमान स्थितिः

3.4.1 स्मारक की स्थिति- स्थिति का मूल्यांकन:

इस संस्मारक का परिरक्षण अच्छे से किया गया है।

3.4.22 प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों और कभीकभार आने वाले आगंतुको की संख्या-

प्रतिदिन लगभग 30-35 आगंतुक संस्मारक पर आते हैं। श्रावण मास के दौरान हर सोमवार को लगभग 500 आगंतुक भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहां एकत्रित होते हैं। कार्तिक के महीने में महाशिवरात्रि के दिन लगभग 1000-2000 आगंतुक/भक्त मंदिर में पूजा करते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0 मौजूदा क्षेत्रीकरण

- भुवनेश्वर विकास क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजना, 2030 के अनुसार: गौतम नगर मौजा (क्षेत्र संख्या18: पुराणी भुवनेश्वर) के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग में नबकेश्वर मंदिर को "विशेष धरोहर क्षेत्र" यथा निर्दिष्ट-' विशेष धरोहर क्षेत्र के भीतर आवासीय' के रूप में रखा गया है।
- 2. भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना और भवन निर्माण मानक) विनियम 2008 के अनुसार, विरासत भवन/स्मारक और धार्मिक स्थान को सार्वजनिक, अर्ध- सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र'(भाग III, 25, तालिका -2) में रखा गया है; जबिक ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व वाले क्षेत्र को 'विशेष क्षेत्र उपयोग क्षेत्र' में रखा गया है (भाग III, 25, तालिका -2)।

4.1 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा निर्देश:

इन्हें अन्बंध -III में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची,नियम 21(1)/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5. नबकेश्वरमंदिर, भुवनेश्वरशहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द, ओडिशा की रूपरेखा योजना नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द, ओडिशा की रूपरेखा योजना अनुबंध- IV में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- स्मारक का कुल संरंक्षित क्षेत्र 2774.451 वर्ग मीटर है
- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 52727.181 वर्ग मीटर है
- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 293995. 509 वर्ग मीटर है

म्ख्य विशेषताएं:

 यह मंदिर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के चारों ओर फैले आवासीय भवनों के बीच स्थित है। निर्मित क्षेत्र के लिए उपयोग भूमि मुख्य रूप से आवासीय, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग के लिए है।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

- उत्तर: आधुनिक निर्माण अधिकतर आवासीय टॉवर (भूतल, भूतल +1 तल और कुछ जी +2 तल); सार्वजनिक भवन; 11 केवी से 240 केवी की बिजली की लाइन; पक्की सड़क; पक्की नाली और वनस्पति उपज।
- दक्षिण: आधुनिक निर्माण अधिकतर अपार्ट्मेंट, बैंक, क्लिनिक, शौचालय, कुआँ; 240 केवी की बिजली की लाइन; पक्की सड़क; पक्की नाली और पेड़ इस दिशा की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं।
- पूर्व: शिवमंदिर, आवासीय भवन, पक्की सड़क, बाजार, 240 केवी की बिजली की लाइन।
- पश्चिम: दुकानें, घर, गैरेज, 240 केवी की बिजली की लाइन।

विनियमित क्षेत्र

• उत्तरः इस दिशा में अधिकतर आधुनिक निर्माण -आवासीय टावर और सार्वजनिक भवन, पार्किंग क्षेत्र, मंदिर, 240-440 केवी वोल्ट की बिजली की लाइन, कंक्रीट की सड़क, शौचालय, वास्तुकार वास्तुकला परियोजना सलाहकार, बिजयरामविला, निजी और सरकारी कार्यालय, सैलून, अतिथिगृह, मारुति का शोरूम, महिलाओं को लिए दर्जी, पक्की नाली सहित पक्की सड़क है।

- दक्षिण: इस दिशा में अधिकतर आधुनिक निर्माण -आवासीय टावर और सार्वजनिक भवन, औषधालय, शाही ऑप्टिकल क्लिनिक, होटल, स्टूडियो, आंखों का अस्पताल, झोपड़ी, कुटिया, एस बी आई एटीएम, परशुरामेश्वर मंदिर, 240 केवी की बिजली की लाइन, गाड़ी के लिए सड़के, कंक्रीट की सड़क, मंदिर, दुकानें, बाजार, पक्की नाली हैं।
- पूर्व: इस दिशा में बहु-मंजिला भवन, एटीएम, ट्रांसफार्मर, आवासीय भवन, सिनेमा घर, मंदिर, होटल, पक्की सड़क (लुईस सड़क), बाजार, 11 केवी की बिजली की लाइन, ट्रांसफार्मर, पक्की नाली, विला, पक्की नाली हैं।
- पश्चिम: इस दिशा में बहु-मंजिला भवन, आधुनिक भवन, होटल, विद्यालय, नर्सिंग होम, औषधालय, अस्पताल, कंक्रीट रोड, 240 वोल्ट की बिजली की लाइन, तालाब, मंदिर, पक्की नाली हैं।

5.1.3 हरित/ खुले स्थानों का वर्णन:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर**: मंदिर के उत्तर-पश्चिम कोने में एक छोटा सा मैदान है।
- दक्षिण: आवासीय और व्यावसायिक भवन।
- पूर्व: आवासीय भवनों सिहत घनी आबादी।
- पश्चिम: आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक भवन।

विनियमित क्षेत्र

- उत्तरः आवासीय और व्यावसायिक भवनों सहित घनी आबादी।
- **दक्षिण**: आवासीय भवनों सहित घनी आबादी।
- पूर्व: वनस्पति उपज सहित कुछ खुला स्थान। शेष स्थान भवनों सहित घनी आबादी वाला है।
- **पश्चिम**: वनस्पति उपज सहित कुछ खुला स्थान। शेष स्थान भवनों सहित घनी आबादी वाला है।

5.1.4 परिचालन के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र - सड़क, फुटपाथ आदि:

विनियमित और प्रतिषिद्ध क्षेत्र तक नबकेश्वर मंदिर के आसपास का क्षेत्र पक्की और गाड़ी की सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार नागेश्वर मंदिर सड़क से है, जो लुईस रोड (पुरी-कटक सड़क) से जुड़ा हुआ है।

5.1.5 भवन की ऊँचाई (क्षेत्रवार):

- **उत्तर और उत्तर-पूर्व**: अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर है
- **दक्षिण**: अधिकतम ऊंचाई 22 मीटर है।
- **पूर्व**: अधिकतम ऊंचाई 16 मीटर है।
- पश्चिम: अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर है।

5.1.6 परिरक्षित/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय अधिकारियों द्वारा राज्य के संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि मौजूद हो:

विनियमित क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम और स्मारक के परिसर के दक्षिण में दो छोटे-छोटे मंदिर भी हैं जो न तो एएसआई के और न ही राज्य सरकार के स्मारक हैं।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

मंदिर परिसर के भीतर पेयजल सुविधा, शौचालय और रास्ते (पाथवेज) उपलब्ध हैं।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच:

मंदिर तक पक्की सड़क (नागेश्वर मंदिर मार्ग) के द्वारा दक्षिण दिशा से आसानी से पंहुच सकते है। यह विनियमित क्षेत्र के पूर्व दिशा से राष्ट्रीय राजमार्ग -203 से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं {(जल आपूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र(स्टोर्म वाटर ड्रेनेज), जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)}:

पानी की निकासी, जल-मल निकासी और पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है।

5.1.10 क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

क्षेत्रीकरण निम्नान्सार है:

i. भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना और भवन निर्माणमानक), विनियम -2008

- ii. नगर योजना एवं सुधार न्यास अधिनियम, 1956
- iii. ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

अध्याय VI

संस्मारकों का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0 वास्त्कीय, ऐतिहासिक और प्रातात्विक महत्व:

नबकेश्वर मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक ओडिशा शैली को प्रदर्शित करता है, जिसे किलंग वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर आमतौर पर ओडिशा रेखा-देउल प्ररूपी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहा काप्रतिष्ठापित लिंग अब भी बरकरार है। बाहरी दीवार पर कार्तिक, गणेश और पार्वती जैसे पार्श्व-देवता ताक पर सुसज्जित हैं। इस मंदिर में ओडिशा के मंदिरों के भवन निर्माण कार्य कलापों से संबंधित अधोगित के चरणों को दर्शाया गया है। यह मंदिर लगभग तेरह वीं ईसवी शताब्दी का है।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्यादबाव, आदि)

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में यह स्मारक (मंदिर) काफी निर्माण कार्य कलापों से चारों ओर से घिरा हुआ है। आस पास के क्षेत्रों में निर्माण आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों के रूप में हैं।

6.2 संरक्षित स्मारक या क्षेत्र सेदृश्यता और विनियमित क्षेत्र सेदृश्यता:

यह मंदिर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से कम दिखाई देता है क्योंकि यह आवासीय टावरों और पेड़ों से लगभग ढका हुआ है।

6.3 पहचान योग्य भूमि उपयोग:

मंदिर के अड़ोस-पड़ोस के क्षेत्र में अधिकतर आवासीय और व्यावसायिक कार्य कलाप है। स्मारक के आसपास के क्षेत्र में कई सार्वजनिक और धार्मिक संरचनाएँ भी हैं।

6.4 संरक्षित स्मारक के अलावा प्रातात्विक विरासत अवशेष:

विनियमित क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में और स्मारक परिसर के दक्षिण में दो छोटे मंदिर भी हैं, जो न तो एएसआई के और नहीं राज्य सरकार के स्मारक हैं।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य:

स्मारक के चारों ओर का सांस्कृतिक परिदृश्य विभिन्न विकास से संबंधित कार्य कलापों के कारण पूरी तरह से लुप्त हो गया है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का भाग हैं और यह पर्यावरणीय प्रदूषण से स्मारक को सहायता करने में मदद करता है:

300 मीटर व्यास के भीतर, स्मारक आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है; इसलिए, वर्तमान में कोई प्राकृतिक परिदृश्य दिखाई नहीं देता है।

6.7 खुले स्थान और निर्मित भवन का उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र चारों दिशाओं से बहुमंजिला भवन, कम ऊंचाई वाली भवन, अपार्ट्मेंट, छोटी दुकानों, विद्यालय, ट्रांसफॉर्मर, खंभा सिहत बिजली की लाइन आदि सिहत घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं।

6.8 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप:

मंदिर के आसपास कोई भी पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप प्रचलित नहीं हैं। इसे अब पूजा के लिए बंद कर दिया गया है।

6.9 स्मारक से और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

मौजूदा आधुनिक इमारतों के कारण मंदिर का क्षितिज दिखाई नहीं देता है।

6.10 पारंपरिक वास्त्कला:

स्मारक के आसपास कोई भी पारंपरिक वास्तुकला प्रचलित नहीं है, और आस-पास के क्षेत्रों में सभी निर्माण नए हैं।

6.11 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना:

स्थानीय प्राधिकारियों के अन्सार।

6.12 भवन संबंधित मापदंड:

- (क) स्थल पर निर्माण की ऊंचाई (छत संरचनाएं जैसे ममटी, पैरापेट, आदि सहित):

 स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊंचाई 7.0 मीटर तक सीमित
 होगी। (सब क्छ मिलाकर)।
- (ख) तलक्षेत्र: एफ ए आर स्थानीय उपनियमों के अनुसार होगा।

- (ग) उपयोग:- स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार जिस में भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (घ) अग्रभाग डिजाइन: अग्रभाग स्मारक के परिवेश से मेल खाना चाहिए।
- (ङ) छत डिजाइन: ढलानदार छत डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है।
- (च) भवन निर्माण सामग्री: पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।
- (छ) रंग: स्मारक के साथ मेल खाने वाले हल्के रंगों का उपयोग किया जासकता है।

6.13 आगंतुक के लिए सुख-सुविधाएं:

स्थल पर आगंतुको के लिए रोशनी, लाइट और साउंडशो, शौचालय, विवेचन-केंद्र, कैफेटेरिया, पीने का पानी, स्मारिका दुकान, ऑडियो-विजुअल केन्द्र, दिव्यांग जन के लिए रैंप, वाई-फाई और ब्रेल स्विधा जैसी सुख- स्विधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्यायVII

स्थल विशिष्टसिफारिशं

7.1 स्थल विशिष्टसिफारिशें:

क) सेटबैक

 पूरा किया सामने की तरफ भवन का किनारा मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) या आंतरिक बरामदा और चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की आवश्यकताओं को जाना चाहिए।

ख) प्रक्षेपण

 सड़क के निर्बाध रास्ते से आगे भूमि स्तर पर "बाधामुक्त" पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमित नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से निर्बाध,आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

धरोहर क्षेत्र में संकेतक (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवाडिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तकरा सायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमित नहीं दी जा सकती, किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पटविज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन लगाने का अनुमित नहीं होगा।

- संकेत कों (साइनेज) को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देख ने में बाधा उत्पन्न न करे और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरी वालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमित
 नहीं दीजाए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

- व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई
 जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जासकते है।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District-Khurda Odisha" prepared by the Competent Authority, are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl-section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

- (i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected MonumentNabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District- Khurda, Odisha.
- (ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

- (a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) The remains of an ancient monument,
 - (ii) The site of an ancient monument.
 - (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
 - (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;
- (b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
 - (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;
- (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;
- (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;
- (f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act: Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;
- (g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any reconstruction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

- (i) "Government" means The Government of India;
- (j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of Protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected monument or of securing convenient access thereto;
- (k) "owner" includes-
 - (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
 - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-inoffice of any such manager or trustee;
- (l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.
- (m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;
- (n) "Protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;
- (o) "Protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;
- (p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;
- (q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;
- (r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;
- (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act: -The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred m in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred m in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

- **2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:** The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides param for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.
- **2.2 Rights and Responsibilities of Applicant:** The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or reconstruction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:-
 - (a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
 - (b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
 - (c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument- Nabakeswar Temple, BhubaneswarCity, Locality- Baragarh, District- Khurda, Odisha

3.0 Location and Setting of the Monuments:

• It is situated at GPS Coordinates Lat.20° 14' 45.14" N, Long.85° 50' 20.78" E.




Fig: Map showing location of Nabakeswar Temple, with its minor shrine, along with Protected,
Prohibited and Regulated areas, Bhubaneswar City; Locality-Baragarh, District Khurda Odisha, Survey Plot No. – 2134

- The Temple is located in NageshwarTangi area in Baragarh.
- It is well connected to the Puri-Cuttack National Highway, NH 203at 7.1 km south-east of the Bhubaneswar city.

- The nearest Railway Station is Bhubaneswar which is 2.7km (via Puri road) to the North of the temple.
- The nearest airport is Biju Patnaik International Airport at a distance of 3.2km (via Vivekananda Marg) North-West to the temple.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary of the Centrally Protected Monument Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District- Khurda, Odishamay be seen at **Annexure-I.**

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The Notification Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District- Khurda, Odishamay be seen at **Annexure-II.**

3.2 History of the Monument:

The sculptural embellishments on the outer wall of the temple suggest that the temple was originally dedicated to lord Siva. This ancient temple of Bhubaneswar was built during the Kalinga dynasty. This is ascribable to *circa* thirteenth century CE.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The temple represents Kalinga style of architecture. The temple is a typical Odishan*rekha-deul*, dedicated to lord *Siva*. The enshrined *linga* is intact. On the outer wall, *parsva-devatas* like Kartikeya, Ganesa and Parvati are figured in niches. The temple depicts a phase of decadence in the building activity of the Odishan temples.

3.4 Current Status:

3.4.1 Condition of Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering/ numbers:

This temple is visited by 30-50 visitors per day. Every Monday during the month of *Sravana*, around 500 visitors gather here to worship lord Shiva. In the month of Kartika, on the auspicious day of Shivaratri nearly 1000-2000 visitors/devotees worship the temple.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

- 1. As per the, Comprehensive Development Plan for Bhubaneswar Development Area, 2030: In the proposed land use for GautamnagarMouza (Zone No. 18: Old Bhubaneswar) The Nabakeswar Temple is placed under "Special Heritage Zone" specified as 'Residential within special heritage zone'.
- **2.** As per the Bhubaneswar Development Authority (Planning and Building standard) Regulation 2008, the heritage building/monument and religious place have been placed in 'public, semi-public use zone' (Part III, 25, Table-2); while area of historical or archaeological importance are placed in 'Special Area Use Zone' (Part III, 25, Table-2).

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour map of Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District-Khurda, Odisha:

Survey Plan of Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District-Khurda, Odisha may be seen at **Annexure- IV**.

5.1 Analysis of Surveyed Data

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monument is 2774.451sq. m
- Total Prohibited Area of the monument is 52727.181 sq. m
- Total Regulated Area of the monument is 293995. 509sq. m

Salient Features:

• The temple stands amidst residential towers on all sides of the Prohibited and Regulated Areas. The land use for built up area is mainly for residential, public and semi-public use.

5.1.2 Description of built up area

Prohibited Area

- **North:** modernconstruction mostly residential towers (G, G+1 and a few G+2); public buildings; 11 KV to 240 KV power line; metaled road; masonry drain and vegetation growth.
- **South:** Modern construction mostly apartments, banks, clinic, toilet, well; 240 KV power line; metaled road; masonry drain and trees are some of the common features in this direction.
- East: Shiva temple, residential buildings, metaled road, market, 240 kv power line.
- West: Shops, houses, garage, 240 kv power line.

Regulated Area

- North: Modern construction mostly-residential towers and public buildings, parking area, temples, 240-440 kv volt power line, concrete road, toilet, Vastukar Architect projects consultants, Bijayram Villa, private and government offices, salon, guest house, Maruti show room, ladies tailor, metaled road with masonry drain are present in this direction.
- **South:** Modern construction mostly-residential towers and public buildings, medical store, royal optical clinic, hotel, studio, eye-hospital, hut, shed, SBI ATM, Parasurameswar Temple, 240 kv power line, cart track, concrete road, temples, shops, market, masonry drain are present in this direction.
- East: Multi-storied building, ATM, transformer, residential buildings, cinema hall, temples, hotel, metalled road (Lewis road), market, 11 kv power line, transformer, masonry drain, villa, masonry drain are present in this direction.
- West: Multi-storied building, modern building, hotels, school, nursing home, medicine store, hospital, concrete road, 240volt power line, pond, temple, masonry drain are present in this direction.

5.1.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area

- **North:** A small field is present in the north-west corner of the temple.
- **South:** Residential and commercial buildings.
- East: Densely populated with residential buildings.
- West: Residential, commercial and public buildings.

Regulated Area

- North: Densely populated with residential and commercial buildings.
- **South:** Densely populated with residential buildings.
- **East:** Few open spaces with vegetation growth. The rest of the place is densely populated with buildings.
- **West:** Few open spaces with vegetation growth. The rest of the place is densely populated with buildings.

5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc:

The surrounding area of Nabakeswar Temple up to the Regulated and Prohibited Area is well connected with metalled& cart track roads. The main entry to the temple is from the Nageshwar Temple Road, which connects to the Lewis Road (Puri-Cuttack Road).

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- North & north-east: The maximum height 12m.
- **South:** The maximum height is 22m.
- **East:** The maximum height is 16m.
- **West:** The maximum height is 12m.

5.1.6 State protected monuments and listed heritage buildings by local authorities, if available, within Prohibited/Regulated Area:

Two small temples in south-west and in south of the monument premises in the regulated area also in extent which are neither of ASI nor state government monuments.

5.1.7 Public amenities:

Drinking water facility, toilets and pathways are present within the temple complex.

5.1.8 Access to monument:

The temple is accessible from the south by a metalled road (Nageshwar temple road). It is also well connected by NH-203 in east direction of the Regulated Area.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc:

Drainage, sewage and parking are available.

5.1.10 Proposed zoning of the area under:

Zoning is mentioned as per the:

- i. Bhubaneswar Development Authority (Planning and building Standards), Regulations -2008
- ii. Town Planning &Improvement Trust Act, 1956
- iii. Odisha Development Authority Act, 1982.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value of themonument:

The Nabakeswar temple exhibits the traditional Odisha style of architecture, also known as Kalinga architecture. The temple is a typical Odishan *rekha-deul*, dedicated to lord Siva. The enshrined *linga* is intact. On the outer wall, *parsvadevatas* like Kartikeya, Ganesa and Parvati are figured in niches. The temple witnesses a phase of decadence in the building activity of the Odishan temples. This is ascribable to *circa* thirteenth century CE.

6.1. Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

The temple is encompassed by heavy construction activities, all around the monument in the Prohibited and in Regulated Area. The constructions in surrounding areas are in the form of residential, commercial and public buildings.

6.2. Visibility from the protected monument/area and visibility from the Regulated Area:

The temple is of minimum visibility from the Prohibited and the Regulated Areas as it is almost hidden due to residential towers and trees.

6.3 Land use to be identified:

The area near the temple precinct is mostly occupied by residential and commercial activities. Many public and religious structures are also present in the close vicinity of the monument.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

Two small temples in southwest and in south of the monument premises in the Regulated Area also in extent which are neither of ASI nor state government monuments.

6.5 Cultural landscapes:

The cultural landscape around the monument is completely lost due to various developmental activities.

6.6. Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

Within 300-meter diameter, the monument is surrounded by modern constructions; therefore, presently no natural landscape exists.

6.7. Usage of open space and constructions:

The Prohibited and Regulated Area are densely populated with multi storied building, low heighted building, apartments, small shops, school, transformer, power line with pole, etc. in all directions.

6.8. Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, historical and cultural activities have been prevalent around the temple. It is now closed for worship.

6.9. Skyline, as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline of the temple is not visible due to the existing modern structures.

6.10. Traditional architecture:

No traditional architecture is prevalent around the monument, and all new constructions have come-up in the adjacent areas.

6.11 Development plan as available by the local authorities:

As per Local Authorities.

6.12Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.):

The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7.0 m. (All inclusive).

- **(b) Floor area:** FAR will be as per local bye-laws.
- (c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.
- (d) Façade design: The façade design should match the ambience of the monument.
- (e) **Roof design:** Sloping roof designmay be used.
- (f) Building material: Traditional building material may be used.
- (g) Color: Neutral colors matching with the monument may be used.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound shows, toilets, interpretation center, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual center, ramp for differently abled, Wi-Fi, and braille should be available at the site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks

• The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

• No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations:


- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुबंध ANNEXURES

अनुबंध-I ANNEXURE-I

नबकेश्वरमंदिर, भुवनेश्वरशहर, स्थान- बारागढ़, जिला - खुर्द, ओडिशा, सर्वेक्षण भूमिसंख्या2134 कीसंरक्षितचारदीवारी

Protected boundary of Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality-Baragarh, District – Khurda , Odisha, Survey Plot No.2134




नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शहर, स्थान- बारागढ़, जिला - खुर्द, ओडिशा, सर्वेक्षण भूमि संख्या 2134 की अधिसूचना

Notification of ofNabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District – Khurda, Odisha, Survey Plot No.2134

इस स्मारक को सन 1945 में दिनांक 18 जून, 1945 की अधि्चना संख्या 35/6/85-एम के तहत नबकेश्वर मंदिर के नाम से संरक्षित किया गया था। यह स्मारक सर्वेक्षण भूखंड संख्या 2134 में है जिसका क्षेत्र फल 0.068 एकड़ है।

This monument was protected in 1945, vides notification no. 35/6/85-M, dated 18th June, 1945, by the name of Nabakeswar Temple. The monument lies in survey plot no. 2134, having area 0.068 acre.



Typed copy of Original Notification

No. 35 / 6 / 85 - M

Government of India

Archaeological Survey of India

Janpath, New Delhi-110011

Dated: 18th June 1945

To,

The Superintending Archaeologist,

Archaeological Survey of India,

Bhubaneswar

Circle,

BHUBANESWAR

Sub: - Supply of Gazette Notification.


Sir,

I have the honour to refer to your d.o .letter No. 3/1/85-W-238, dated the 4th May, 1985 on the subject noted above and to enclose here with a copy of Notification No.F.4.1 (2)45F&L, dated the 18th June, 1945 as desired.

Yours Faithfully

(M.G.Mehta)

Assistant Director (Monuments)



Government of India Department of Education, Health and Lands Archaeology

Simla, the 18th June, 1945

No.F.4-1(2)/45- F &L - In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of the Ancient Monuments Preservation act 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to declare the ancient monuments described in the annexed schedule to be protected monuments within the meaning of the said Act.

SCHEDULE

Sl.	Dist	Locality	Name of	Khata	Survey	Boundaries	Ownership
No.	rict	·	Monument	No.	Plot No.		•
					And Area		
1.	Puri	Baragarh	Rameswar	6	Survey plot	Survey plot nos.	Lord
			temple		no. 2074	North - 2077	LingarajaMahaprabhuNft
					Area 0.074 acre	South - 2077	Trustees of the said
						East - 2077	temple
						West - 2077	
2.	Puri	Baragarh	Nabakeswar	3	Survey	Survey plot nos.	Government
			temple		plot no 2134	North - 2132	
						South 2132/4870	
					Area - 0.038 acre	East - 2132	
						West - 2132	
3.	Puri	Bhubaneswar	Chitrakarai	901	Survey	North - Public	Lord Lingaraja
			temple		plot no 3542	Road	Mahaprabhu
						South - Dand of	Nft Trustees of the said
					Area - 0.037acre	Bam Debdas	temple
						Choudhury	
						East - Dand of	
						Bam	
						DebdasChaudhury	
						West - Lord	
						Lingaraj	
						Mahaprbhu	
						Anabadt	
4.	Do	Do	Bakeswar	901	Survey	Survey Plot no.	Lord Lingaraja
			temple		plot	North - 2612	Mahaprabhu
					no.2613	South - 2614	Nft Trustees of the said
					Area0.010 acre	East - 2609	temple
						West - 2615	

स्थानीय निकायदिशा-निर्देश

ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजना तैयार की जाएगी। उसी अधिनियम के अध्याय VI के अनुसार, ऐतिहासिक या राष्ट्रीयहित या प्राकृतिक सुंदरता और वास्तव में धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानेवाली भवनों की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए यह प्रावधान किया गया था (धारा 22 पी)। उसी अधिनियम में, विकास क्षेत्र में पर्यावरण केश हरीकरण की बहाली और संरक्षण और पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों और उच्चदर्शनीय सुंदरता वाले स्थलों की बहाली और संरक्षण के सामलों की देखभाल के लिए एक "कला आयोग" गठित करने का भी प्रावधान किया गया था। (अध्याय X की धारा 88)।

नए निर्माण, सेटबैक के लिए विनियमित क्षेत्र सिंत अनुमेय ग्राउंड कवरेज, एफएआर/ एफएसआई और ऊंचाई:

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना और भवन निर्माण मानक) विनियम - 2008 के अनुसार निर्माण कार्य के सामान्य नियम सभी विकास योजनाओं के लिए लागू होंगे। बीडीए (पीएंडबीएस) विनियम 2008 और उसी विनियम (संशोधित 2013) के विनियम 33(1) के अनुसार, आवासीय, व्यावसायिक, कॉपॉरेट, आईटी/आईटीईएस भवनों के लिए नीचे दिए गए तलक्षेत्र अनुपात के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू किए गए हैं।

तालिका 1: सड़क की चौड़ाई के अन्सार तल क्षेत्र अन्पात

सड़क की चौड़ाई मीटर में	व्यावसायिक/आवासीय भवनों के लिए तलक्षेत्र अनुपात	आईटी/आईटीईएस/कॉर्पोरेट भवनों के लिए तलक्षेत्र अनुपात
6 तक	1.00	-
6 या अधिक एवं 9से कम	1.50	-

सड़क की चौड़ाई मीटर में	व्यावसायिक/आवासीय भवनों के लिए तलक्षेत्र अनुपात	आईटी/आईटीईएस/कॉर्पोरेट भवनों के लिए तलक्षेत्र अनुपात
9 या अधिक एवं 12 से कम	1.75	-
12 या अधिक एवं 15 से कम	2.00	2.00
15 या अधिक एवं 18 से कम	2.25	2.25
18 या अधिक एवं 30 से कम	2.50	2.50
30एवं उससेअधिक	2.75	2.75

बीडीए (पीएंडबीएस) विनियम - 2008 के विनियम भाग VII (58) के अनुसार, **बहुमंजिला भवनों के** निर्माण पर प्रतिबंध के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे।

- 1. भुवनेश्वर, किपलेश्वर, राजरानी और धौली, मुकुंदप्रसाद और गड़ाखुर्द जैसे गांवों में बहु-मंजिला भवन के निर्माण की अनुमित नहीं दी जाएगी। प्राधिकरण समय-समय पर बहु मंजिला भवन के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए किसी अन्यक्षेत्र को शामिल कर सकता हैं।
- 2. प्राधिकरण सरकार से उपयुक्त मंजूरी के पश्चात उपलब्ध संरचना और योजना की जरूरतों के मूल्यांकन उद्देश्य के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र बहु मंजिला भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित कर सकता है।
- 3. इन नियमों को शुरू करने से पहले, जहां सशर्त रूप से अनुमित दी गई है, और ऐसे मामलों को बिना किसी बड़े बदलाव या निर्माण कार्य को हटाए बिना इन विनियमों से संबंधित प्रावधानों के तहत निपटान किया जाता है, इस शर्त के अध्यधीन कि जहां विरासत क्षेत्रों की शर्तों का उल्लंघन होता है वहां ऐसी छूट लागू नहीं होगी।
- 4. किसी भी बह्-मंजिला भवन के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी:
 - क. 18 मीटर से कम चौड़ाई वाली संपर्क सड़क के साथ,
 - ख. 2000 वर्ग मीटर से कम भूखंड पर

विनियम के भाग IV (31 और 32) के अनुसार **सेटबैक और खुले स्थानों** का विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 2: भूखंड का आकार अनुमेय सेटबैक और भवनों की ऊंचाई

				u				2 "
भूखंड का	अनुमेय भवन की			ौड़ाई के अनुर	•		अन्य	य दिशाओं
आकार	अधिकतमऊचाई		अग्रभाग सेटबैक (मीटरमें)				पर न्यूनतम	
(वर्ग	(मीटर में)						सेटबैक	
मीटरमें)						T	(मी	टर में)
		9 मीटर	9 मीटर	12 मीटर	18 मीटर	30	पीछे	अन्यदिशा
		सेकम	तक और12	तक और18	तक और	मीटर से	की	
			मीटर	मीटर से	30 मीटर	अधिक	तरफ	
			सेकम	कम	से कम			
[1]	[2]	[3(क)]	[3(ख)]	[3(ग)]	[3(घ)]	[3(ङ)]	[4]	[5]
100 से	7						1.0	-
कम			2.0	2.5	3.0	4.5		
100 और		1.5					1.5	1.5
200 तक	10							
200 से							2.0	1.5
अधिक	10							
और								
300 तक								
300 से		1.5	2.0	3.0	3.0	4.5		
अधिक	12						2.5	1.5
और								
400 तक			_					
400 से								
अधिक	12						3	2
और								
500 तक								
500 से		1.5	2.0	3.0		4.5		

अधिक	15		4.0	3	3
और					
750 तक					
750 से	15				
अधिक				4	4

बीडीए (पीएंडबीएस) विनियम 2008 के विनियम 43 (3) के अनुसार पार्किंग सुविधा के लिए विनिर्देशन, पार्किंग के लिए विनिर्देशन निम्नानुसार है:

तालिका 3: अलग-अलगश्रेणी केआवासों के लिए स्मारक से जुड़े मुख्यमार्ग पर पार्किंग स्थल

क्रम सं	भवन/कार्यकलाप की श्रेणी	कुल निर्मित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाले पार्किंग क्षेत्र (वर्गमीटर)
(1)	(2)	(3)
1.	शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स, रिटेल शॉपिंग सेंटर, आईटी/आईटीईएस परिसरों और होटल के साथ शॉपिंग मॉल	60
2.	रेस्तरां, लॉज, अन्य व्यावसायिक भवन, सभा भवन, कार्यालय और ऊंची भवन	40
3.	आवासीय अपार्टमेंट भवन, नर्सिंग होम, अस्पताल, संस्थागत और औद्योगिक भवन	30

2. स्थानीय निकायों के पास विरासत उपनियम/विनियम/दिशा-निर्देश, यदि कोई उपलब्ध हो तो

भुवनेश्वर शहर के एएसआई संस्मारकों/धरोहरों के लिए कोई विशेष उपनियम तैयार नहीं किया गया हैं।

- क. बीडीए(पीएंडबीएस) विनियम- 2008 के विनियम भाग II (17) के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार के विरासत भवन और संस्मारकों की देखभाल के लिए एक "कला आयोग" गठित करने का प्रावधान किया गया था।
- ख. बीडीए (पीएंडबीएस) विनियम 2008 के विनियम भाग II (18) के अनुसार, संरक्षित संस्मारकों के पास निर्माण कार्य के लिए निम्नलिखित एएसआई प्रावधान लागू किए गए हैं:
- अ. धारा 18 (1) के भाग II के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण और ओडिशा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार संरक्षित स्मारक घोषित स्मारक की बाहरी सीमा में 100 मीटर के दायरे में, या किसी अन्य पुरातात्विक स्थल से ऐसी अन्य उच्च दूरी तक किसी भी भवन का निर्माण या पुन: निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ब. धारा 18 (2) (i) के भाग II के अनुसार ऐसे संस्मारकों के 100 मीटर के दायरे से 300 मीटर के दायरे तक 1 मंजिल से अधिक और 7 मीटर से ऊँची किसी भी निर्माण कार्य की अन्मति नहीं दी जाएगी।
- स. उपरोक्तउप-विनियम (1) और (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद चाहे जैसा भी मामला होए एस आई/राज्यपुरातत्व विभाग से मंजूरी के बाद निर्माण/पुन: निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन पर अनुमति दी जाएगी।

3. खुला स्थान

विनियम के भाग III (31) के अनुसार

- क. संस्थागत भवनों, शैक्षिक भवनों और जोखिम स्थान भवन के चारों ओर खुला स्थान 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
- ख. सभा भवन सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और अन्य भवन के लिए यह 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

- ग. व्यावसायिक और भंडारण भवन 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंडों के मामले में भवन के चारों ओर खुला स्थान के लिए उल्लेख किया गया आंकड़ा 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
- घ. **औद्योगिक भवन** औद्योगिक भवन के मामले में, 15 मीटर तक की ऊँचाई के लिए खुला स्थान 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और ऊँचाई में प्रति 1 मीटर की बढ़त के लिए चौड़ाई में 0.25 मीटर की वृद्धि।
- ङ. **आईटी/आईटीईएस और अन्य कॉरपोरेट भवन** 750 वर्ग मीटर तक के भूखंड के मामले में भवन के आसपास न्यूनतम सेटबैक 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 750 वर्ग मीटर से अधिक की भूखंड के मामले में भवन के आसपास न्यूनतम सेटबैक 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

तालिका 4: भवनों के आस पास बाहरी ख्ले स्थानों का प्रावधान

क्रमसंख्या	भवन की ऊंचाई (मी.)	चारों ओर छोड़े जाने वाले बाहरी खुलास्थान मीटर में (प्रत्येक अग्रभाग, पीछे और किनारे)
1.	15 से अधिक और 18 तक	6
2.	18 से अधिक और 21 तक	7
3.	21 से अधिक और 24 तक	8
4.	24 से अधिक और 27 तक	9
5.	27 से अधिक और 30 तक	10
6.	30 से अधिक और 35 तक	11
7.	35 से अधिक और 40 तक	12

8.	40 से अधिक और 45 तक	13
9.	45 से अधिक और 55 तक	14
10.	55 से अधिक	15

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ आवाजाही- सड़क की सतह को बराबर करना, पैदल पारपथ, गैर-मोटर चालित परिवहन

नबकेश्वर मंदिर के आस-पास के क्षेत्र में पक्की और गाड़ी की सड़कें है। मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार नागेश्वर मंदिर मार्ग से है, जोलुईस रोड (पुरी-कटक रोड) से जुड़ता है।चूंकि यह शहर क्षेत्र है, इसलिए परिवहन का प्राथमिक माध्यम निजीकृत मोड अर्थात मोटर साइकिल, स्कूटर, साइकिल, कार, ऑटो-रिक्शा, बस आदि हैं। संरक्षित क्षेत्र में केवल पैदल चलने वाले यात्री के लिए अनुमित है।

तथापि, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने विनियम 2008 के भाग II (29) के अनुसार कुछ नियम भी तैयार किए हैं जो निम्नानुसार है:

- 1) प्रत्येक भवन/भूखंड में भारत के राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2005 के खंड 4, भाग 3 में विनिर्दिष्ट विधिवत रूप से गठित सड़कों की चौड़ाई सार्वजनिक/निजी साधनों का उपयोग करने के लिए हो।
- 2) किसी भी स्थिति में, भूखंडों के विकास की अनुमित तब तक नहीं दी जाएगी जबतक कि इसमें सार्वजनिक/निजी मार्ग से पहुचान जा सके जो 6 मीटर से कम न हो।
- 3) संस्थागत, प्रशासनिक, सभा, औद्योगिक और अन्य गैर-आवासीय और गैर-वाणिज्यिक कार्यकलापों के मामले में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

5. सड़क निर्माण डिजाइन (स्ट्रीटस्केप्स), अग्रभाग और नए निर्माण:

अग्रभाग के संबंध में उपरोक्त अधिनियम और विनियमनों में कोई विशिष्ट नियम नहीं है। तथापि, सड़क निर्माण(स्ट्रीटस्केप्स) और नए निर्माण के लिए विवरण पहले ही बता दिया गया है।

LOCAL BODIES GUIDELINES

In the "Odisha Development Authority Act 1982" there is a clear mentioned that Comprehensive Development Plan shall be prepared for each zone. As per Chapter VI of the same Act, the provision was made for the preservation of objects of historical or national interest or natural beauty and of buildings actually used for religious purposes (Section 22 P). In the same Act, provision was also made to constitute an "Art Commission" to look after the affairs of restoration and conservation of urban designing of the environment in the development area and restoration and conservation of archaeological and historical sites and sites of high scenic beauty (Section 88 of Chapter X).

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and heights with the regulated area for new construction; and setbacks:

The General rules of construction shall be applicable for all development schemes as per 'Bhubaneswar Development Authority (Planning & Building Standards) Regulation - 2008'. As per Regulation 33(1) of the 'BDA (P&BS) Regulations 2008 and same regulation (amended 2013)', the following provisions are made applicable for **Floor Area Ratio** for residential, commercial, corporate, IT/ITES buildings as below:

Road width in meter	FAR for commercial/ residential buildings	FAR for IT/ITES/ Corporate buildings
Upto 6	1.00	-
6 or more & less than 9	1.50	-
9 or more & less than 12	1.75	-
12 or more & less than 15	2.00	2.00
15 or more & less than 18	2.25	2.25
18 or more & less than 30	2.50	2.50
30 & above	2.75	2.75

Table 1: FAR as per road width

As per the part VII (58) of the Regulation of the BDA (P&BS) Regulations - 2008, the following provisions are made applicable for **Restriction on Construction of Multistoried buildings**.

1. Construction of multi-storied building shall not be permitted in villages namely Bhubaneswar, Kapileswar, Rajarani and Dhauli, Mukunda Prasad &Gadakhurda.

The Authority may include any other areas for prohibition of multi storied building form time to time.

- 2. The Authority may restrict construction of multi-storeyed buildings in any other area on the basis of objective assessment of the available infrastructure and planning needs after obtaining due approval of the Government.
- 3. Before commencement of these regulations, where permission has been granted conditionally, and such cases shall be dealt with under corresponding provisions of these Regulations without any major change, or removal of construction, subject to the condition where violation of Heritage Zone conditions has occurred, this relaxation shall not apply.
- 4. No multi-storied building shall be allowed to be constructed:
 - a. With approach road less than 18 m width,
 - b. On plot size less than 2000 sq m.

For **Setbacks and Open Spaces**, as per part IV (31 and 32) of the Regulation, the Setbacks and Open spaces are described as below:

Table 2: Plot size, permissible setbacks and height of buildings

Plot size	Maximum Height of	Minimum front setback (in m.) As per the abutting road width					Setba other si	mum cks on ides (In
(In sq. m.)	building permissible (in m.)	Less than 9 m.	9 m. and below 12 m.	12 m. less than 18 m.	18 m.& less than 30 m.	Above 30 m.	Rear side	Other Side
[1]	[2]	[3(a)]	[3(b)]	[3(c)]	[3(d)]	[3(e)]	[4]	[5]
Less than 100	7						1.0	-
100& up to 200	10	1.5	2.0	2.5	3.0	4.5	1.5	1.5
Above 200& up to 300	10	1.3	2.0	2.3	3.0	4.3	2.0	1.5

Above 300 & Up to 400	12	1.5	2.0	3.0	3.0	4.5	2.5	1.5
Above 400& Up to 500	12						3	2
Above 500& Up to 750	15	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5	3	3
Above 750	15						4	4

Specification for Parking Facility as per Regulation 43(3) of the BDA (P & BS) Regulation 2008, the specification for parking has been specified as below:

Table 3: Off street parking space for different category of occupancies

Sl. No.	Category of building/activity	Parking area to be provided as percentage of total built up area (sq m.)
(1)	(2)	(3)
1.	Shopping malls, shopping malls with Multiplexes/ Cineplex's, Retail shopping centre, IT/ITES complexes and hotel".	60
2.	Restaurants, Lodges, Other commercial buildings, Assembly buildings, Offices and High rise buildings	40
3.	Residential apartment buildings, Nursing Home, Hospital, Institutional and Industrial buildings	30

2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines, if any, available with local bodies

No specific bye laws are prepared for the ASI monuments/heritage of the Bhubaneswar city.

A. As per the Part II (17) of Regulation of the BDA (P&BS) Regulations - 2008, a provision was made to constitute an "Art Commission" to look after the affairs of the heritage building and the monuments of ASI and State government.

- B. As per the Part II (18) of Regulation of the BDA (P&BS) Regulations 2008, the following ASI provisions are made applicable for the construction near Protected Monuments:
 - a. As per Part II, section 18(1) No construction or re-construction of any building, within a radius of 100 meters, or such other higher distance from any archaeological site, as may be decided by the Archaeological Survey of India and Odisha State Archaeology
 - department from time to time, from the outer boundary of a declared protected monument shall be permitted.
 - b. As per Part II, section 18(2)(i) No construction above 1st floor and above 7 m shall be allowed beyond a radius of 100 meters and within a radius of 300 meters of such monuments.
 - c. Notwithstanding anything contained in the sub-regulation (1) & (2) above, construction/re-construction/addition/alteration shall be allowed on production of clearance from ASI/State Archaeology Department as the case may be.

3. Open spaces

As per Part III (31) of the regulation, for the:

- a. **Institutional buildings, Educational buildings and Hazardous occupancies** the open spaces around the building should not be less than 6 m.
- b. **Assembly building -** the open spaces in front should not less than 12 meter and for other building it should not be less than 6 m.
- **c.** Commercial & Storage buildings In case of plots with more than 500 sq. m. the open space around the building is mentioned, not less than 4.5 m.
- d. **Industrial buildings** in case of industrial building, open space not less than 4.5 m for heights up to 15 m, width and increase of 0.25 m for every increase of 1 m of fraction thereof in height.
- e. **IT/ITES** and other Corporate Buildings in the case of plot up to 750 sq m the minimum setbacks around the building not less than 3 m. In case of plot above 750 sq m the minimum setbacks around the buildings is mentioned, not less than 4.5 m.

Table 4: Provision of exterior open spaces around the buildings

Sl.	Height of the	Exterior open
No.	building (in m.)	spaces to be left
		out on all side in
		m. (front, rear and
		sides in each

1.	15 and above up	6
	to 18	
2.	More than 18 &	7
	up to 21	
3.	More than 21&	8
	up to 24	
4.	More than 24 &	9
	up to 27	
5.	More than 27&	10
	up to 30	
6.	More than 30 &	11
	up to 35	
7.	More than 35 & up to 40	12
8.	More than 40& up to 45	13
9.	More than 45& up to 55	14
10.	More than 55	15

4. Mobility within the Prohibited and Regulated area – Roads facing, Pedestrian Ways, Non–Motorized Transport etc.

The surrounding area of Nabakeswar temple is covered with Metaled & Cart track roads. The main entry to the temple is from the Nageshwar temple road, which connects to the Lewis Road (Puri-Cuttack Road). Since it is a city area, the primary mode of transportation is by personalized mode i.e. by motorcycles, scooters, bicycles, cars, auto-rickshaws, buses etc. The protected area is allowed only for pedestrians.

However, the Bhubaneswar Development Authority (BDA) has also prepared some rules as per part II (29) of Regulations 2008, as below:


- 1) Every building/ plot shall abut a public/ private means of access like streets/roads of duly formed of width as specified in clause 4, Part 3 of National Building Code of India (NBC) 2005.
- 2) In no case, development of plots shall be permitted unless it is accessible by a public/private street of width not less than 6m.
- 3) In case of institutional, administrative, assembly, industrial and other nonresidential and non-commercial activities, the minimum road width shall be 12m.


5. Streetscapes, Facade and New construction

There is no specific account made in the above said act and regulations regarding facades. However, for streetscape and new construction, the details are stated in the above point.


नबकेश्वर मंदिर, भुवनेश्व रशहर, स्थान- बारागढ़, जिला- खुर्द(पुरी), ओडिशा की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Nabakeswar Temple, Bhubaneswar City, Locality- Baragarh, District- Khurda (Puri), Odisha






गौतम नगर मौजा की प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना The Proposed Land Use Plan for Gautamnagar Mauza



गौतम नगर मौजा के प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना, जिसमें नबकेश्वर मंदिर, स्थान -बारागढ़, जिला - खुर्द, ओडिशा को दर्शाया गया है।

The Proposed Land Use Plan for GautamnagarMauza, showing the Nabakeswar Temple, Locality – Baragarh, District – Khurda, Odisha.



स्मारक और उसके आस पास के चित्र Images of the Monument and its surroundings



चित्र. 1. नबकेश्वर मंदिर का दृश्य Fig. 1.View of the Nabakeswar Temple